



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-257891
CG-DL-E-21102024-257891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4120]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4120]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4483(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH753M के कि.मी. 0 से कि.मी.28 (सुब डिविशनल अफसर (Revenue) कलेक्टर ऑफिस कपूणद बुलढाणा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी बुलढाणा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH753M के कि.मी. 0 से कि.मी.28 (सुब डिविशनल अफसर (Revenue) कलेक्टर ऑफिस कपूणद बुलढाणा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बुलढाणा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चिखली					
गांव का नाम: सोने वाडी					
1	1	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
2	16	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
3	175	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
4	175	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
5	184	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
6	2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
7	20	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	21	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
9	21	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
10	263	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
11	264	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
12	269	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
13	270	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
14	270	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
15	270	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
16	293	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05

17	322	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
18	34	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
19	35	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
20	35	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
21	36	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
22	36	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
23	37	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
24	37	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
25	38	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
26	39	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
27	39	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
28	40	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
29	40	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
30	40	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
31	41	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
32	41	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
33	42	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
34	43	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
35	44	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
36	45	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: सातगाव भुसारी					
37	234	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
38	235	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
39	235	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
40	237	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
41	237	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
42	241	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
43	243	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
44	255	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
45	255	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01

46	255	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
47	259	निजी	कृषी	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
48	271	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
49	274	निजी	कृषी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
50	274	निजी	कृषी	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
51	427	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
52	434	निजी	कृषी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
53	434	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
54	435	निजी	कृषी	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
55	436	निजी	कृषी	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
56	48	निजी	कृषी	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
57	49	निजी	कृषी	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
Total					2.71

[फा. सं. RW/NH/12014/157/2017-MAH-ZONE-IV/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4483(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH753M in the stretch of land from Km. 0 to Km. 28** (Sub Divisional Officer (Revenue) Collector Office Compund Buldhana) in the district of BULDHANA in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer Buldhana** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753M in the stretch of land from Km. 0 to Km. 28 (Sub Divisional Officer (Revenue) Collector Office Compound Buldhana) in the district of BULDHANA in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: BULDHANA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chikhli					
Village: Sonewadi					
1	1	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
2	16	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
3	175	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
4	175	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
5	184	Private	Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
6	2	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
7	20	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
8	21	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
9	21	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
10	263	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
11	264	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
12	269	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
13	270	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
14	270	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
15	270	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
16	293	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
17	322	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
18	34	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
19	35	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
20	35	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
21	36	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
22	36	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
23	37	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
24	37	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
25	38	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
26	39	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
27	39	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
28	40	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
29	40	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
30	40	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
31	41	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
32	41	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
33	42	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
34	43	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
35	44	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01

36	45	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Satgaon Bhusari					
37	234	Private	Irrigated	0.08 (Hectare)	0.08
38	235	Private	Irrigated	0.47 (Hectare)	0.47
39	235	Private	Irrigated	0.17 (Hectare)	0.17
40	237	Private	irrigated	0.25 (Hectare)	0.25
41	237	Private	Irrigated	0.18 (Hectare)	0.18
42	241	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
43	243	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
44	255	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
45	255	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
46	255	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
47	259	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
48	271	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
49	274	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
50	274	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
51	427	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
52	434	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
53	434	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
54	435	Private	Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
55	436	Private	Irrigated	0.25 (Hectare)	0.25
56	48	Private	Irrigated	0.2 (Hectare)	0.2
57	49	Private	Irrigated	0.09 (Hectare)	0.09
Total					2.71

[F. No. RW/NH/12014/157/2017-MAH-ZONE-IV/3A]

ABHAY JAIN, Director